

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:-लेखा/नीलामी/2015-16/411-424

दिनांक:- 05.11.2015


नीलामी सूचना

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के निर्णय दिनांक 4.11.2015 की अनुपालना में राजस्थान वेयर हाऊस के प्रतापगढ़ स्थित गोदाम में भण्डारित चना जिसे राजस्थान व्यापारी वस्तु अधिनियम (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण जब्त किया गया है कि खुली नीलामी दिनांक 16.11.2015 को दोपहर बाद 2.00 बजे उपस्थित नीलामी कमेटी के समक्ष की जावेगी। नीलाम की जाने वाली वस्तु का विवरण निम्नांकित है:-

क्र.सं.	नीलाम की जाने वाली वस्तु एवं किस्म	वस्तु की अनुमानित मात्रा क्वि. में	वस्तु की अनुमानित राशि लाखों में	स्थान, जहां वस्तु रखी हुई है	बोली में भाग लेने हेतु जमा योग्य धरोहर राशि	वि.वि.
1	साबुत चना (ठ2)	4284 क्वि. (8493 कट्टे)	193 लाख	RSWC (राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस, करणी मंदिर के पास, धरियावद रोड़, प्रतापगढ़	4 लाख रू. का बैंकर्स चैक या डी.डी. जो जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के नाम देय हो	

शर्त:-

- बोलीदाता राजस्थान व्यापारी वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञापनधारक हो एवं प्रदेश के बाहर का बोलीदाता सम्बन्धित राज्य से इस सम्बन्ध में जारी पात्रता रखता है। राज्य सरकार में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
- नीलामी को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
- नीलामी की शेष शर्तें जिला रसद अधिकारी कार्यालय में कार्य दिवस में एवं विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in/> देखी जा सकती है।
- बोलीदाता उक्त धरोहर राशि का डी.डी. दिनांक 16.11.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकता है।


(बनवारीलाल मीणा)


जिला रसद अधिकारी,
प्रतापगढ़

दिनांक:- 05.11.2015

क्रमांक:-लेखा/नीलामी/2015-16/411-424

प्रतिलिपि:-


- श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर
- श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर
- श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर
- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़
- श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़
- श्रीमान् प्रबन्धक, नैफेड/राजफेड/कान्फेड, राजस्थान जयपुर
- श्री रविन्दनाथ पारगी, कोषाधिकारी, प्रतापगढ़
- श्री विपिन चन्द जैन, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी कार्यालय, प्रतापगढ़
- श्री ओम प्रकाश मेनारिया, मैनेजर, राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस, प्रतापगढ़
- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़
- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़
- श्री राजकुमार गर्ग, विभागीय लेखाकार, प्रतापगढ़
- सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जय कांटल, दशपुर दर्शन को भेजकर लेख है कि अपने अखबार में उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम साईज में करावें।
- रक्षित पत्रावली


(बनवारीलाल मीणा)

जिला रसद अधिकारी,
प्रतापगढ़

नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता राजस्थान व्यापारी वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत अनुज्ञापत्रधारक हो एवं प्रदेश के बाहर का बोलीदाता सम्बन्धित राज्य से इस सम्बन्ध में जारी पात्रता रखता है। राज्य सरकार में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
2. नीलामी में धरोहर राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. जो जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ के नाम देय हो जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकता है।
3. नीलाम की जाने वाली वस्तु जहां है जैसी है हालत में नीलाम की जावेगी। अतः इच्छुक बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व नीलाम की जाने वाली सामग्री का अवलोकन राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस कॉर्पोरेशन, धरियावद रोड़ प्रतापगढ़ में जाकर उक्त सामग्री का अवलोकन कर सकता है।
4. नीलामी को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
5. नीलामी की शेष शर्तें जिला रसद अधिकारी कार्यालय में कार्य दिवस में एवं विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in/> देखी जा सकती है।
6. बोलीदाता उक्त धरोहर राशि का डी.डी. दिनांक 16.11.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकता है।
7. नीलाम की जाने वाली सामग्री कट्टो सहित की नीलाम की जावेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी स्टॉक लिमिट को सीमा तक ही क्रय कर सकेगा। एवं सफल बोलीदाता को विक्रय की गई वस्तु का 25 प्रतिशत राशि 24 घंटे के अन्दर करानी होगी। एवं शेष राशि 7 (सात) दिवस के अन्दर जमा करानी होगी एवं अगर जमा नहीं कराता है तो धरोहर राशि सहित जमा सहित सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. चने का उठाव 7 दिवस के अन्दर गोदाम से आवश्यक रूप से उठाव करना होगा। अगर उठाव नहीं किया जाता है तो भण्डारण का समस्त खर्चा क्रेता को वहन करना होगा।


(बनवारीलाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी,
प्रतापगढ़